इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 6 अंक सं. : 12 जुलाई 2014

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

इस अंक में

मुख्य घटनाएं --- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां --------------- ------------------------------1
बैंकिंग जगत की घटनाएं ---3
विनियामकों के कथन --4
अर्थव्यवस्था / बीमा ------ --- 5
ग्रामीण बैंकिंग -- 5
वित्तीय समावेशन / विदेशी मुद्रा --5
उत्पाद एवं गठजोड --6
बासेल -III - पूंजी विनियमन---6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं / शब्दावली ---------------------------7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---7
संस्थान समाचार---7
शुद्धि-पत्र --- 8
बाज़ार की खबरें ---8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

बैंक खाते खोलने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने मानदंड सरल किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रवासी कामगारों अथवा उन स्थानांतरणीय कर्मचारियों के लिए बैंक खाते खोलने हेतु ग्राहक सत्यापन मानदंड सरल बना दिए हैं जिन्हें अपने अवस्थान (location) प्राय: बदलने होते हैं। अब से ग्राहक कोई खाता खोलते समय या आवधिक अद्यतनकरण की प्रक्रिया पूरी करने के दौरान पते के बारे में केवल एक दस्तावेज़ी प्रमाण (या तो वर्तमान या फिर स्थायी) प्रस्तुत कर सकते हैं। पते के प्रमाण के अनुसार उल्लिखित पते में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में शाखा को आगामी छ: माह के भीतर पते का नया प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है। ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए पते के स्थानीय पता न होने अथवा ग्राहक का वर्तमान निवासीय पता न होने पर बैंक ऐसे स्थानीय पते का घोषणापत्र प्राप्त कर सकता है जिस पर बैंक द्वारा ग्राहक के साथ समस्त पत्राचार किया जाएगा। पत्राचार / स्थानीय पते के लिए किसी प्रमाण का प्रस्तुत किया जाना जरूरी नहीं है। बैंक द्वारा इस पते का सत्यापन (i) पत्र, चेक बुकों, एटीएम कार्डों की प्राप्ति (ii) टेलीफोन वार्तालापों (iii) दौरों आदि जैसी सकारात्मक पुष्टियों के माध्यम से किया जा सकता है। पुन: अवस्थिति (relocation) या किसी अन्य कारण से इस पते में परिवर्तन होने पर ग्राहक बैंक को पत्राचार के लिए नये पते की सूचना ऐसे परिवर्तन होने के दो सप्ताह के भीतर दे सकते हैं।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

बैंकों को 2019 तक चलनिधि अनुपात आवश्यक रूप से बढ़ा कर 100% करना होगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से जनवरी 2015 से 60% का चलनिधि व्याप्ति अनुपात बनाए रखने और अगले चार वर्षों में इस स्तर को बढ़ा कर 100% करने हेतु कहा है। चलनिधि व्याप्ति अनुपात एक ऐसी संकल्पना है जिसका उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास अल्पावधिक नकदी की उपलब्धता

सुनिश्चित करना है। इसके अनुसार वित्तीय संस्थाओं के पास नकदी में अल्पावधिक रुकावटों से पार पाने हेतु आस्तियों का 100% समर्थन होना चाहिए। अतएव, बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे नकसी या खज़ाना बिलों जैसी अत्यधिक अनिरुद्ध (liquid) आस्तियों की इतनी मात्रा रखें जो 30 दिन की अवधि से अधिक की उनकी निवल नकदी के बराबर या उससे अधिक हो। भारतीय रिज़र्व बैंक बासेल समिति का सदस्य है तथा उसने बैंकों से कहा है कि वे पूरे 2915 के लिए 60% का चलनिधि अनुपात बनाए रखें, जनवरी 2016 से इसे बढ़ा कर 70% करें और जनवरी 2018 से बढ़ा कर 90% तथा जनवरी 2019 से 100% करने से पहले जनवरी 2017 से बढ़ा कर 80% करें।

भारतीय रिज़र्व बंक द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को मुद्रा जोखिम प्रतिरक्षित करने की अनुमति

देश में डालर अंतर्वाह को आकर्षित करने के एक महत्वपूर्ण अभियान में भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को भारतीय ऋण एवं इक्विटी बाज़ारों में उनके एक्सपोजर से पैदा होने वाले अपतटीय मुद्रा जोखिमों को प्रतिरक्षित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस उद्देश्य के लिए वे मुद्रा भावी सौदों (करेसी फ्यूचर्स) या शेयर बाज़ार में खरीदे-बेचे जाने वाले मुद्रा विकल्प बाज़ार में प्रवेश कर सकते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) तथा अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) का समावेश होता है। इसके अलावा, दो और उदारीकरण उपायों की घोषणा की गई है। पहला, भारतीय रिज़र्व बैंक ने शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली मुद्रा व्युत्पन्नियों (ETCDs) में निवासियों (निर्यातकों एवं आयातकों सहित) द्वारा सहभागिता किए जाने से सम्बन्धित कुछेक नियमों को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों वाले नियमों से संरेखित कर दिया है। दूसरा, विदेशी मुद्रा का व्यापार करने वाले बैंकों को अब शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली व्युत्पन्नियों (ETCDs) का स्वामित्वपूण व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और निवासी (घरेलू सहभागी) कोई अन्तर्निहित एक्सपोजर सृजित किए बिना प्रति शेयर बाज़ार 10 मिलियन अमरीकी डालर तक या उसके समतुल्य बिक्री से अधिक खरीद (Long) तथा उसके साथ ही खरीद से अधिक बिक्री (Short) कर सकते हैं। मुद्रा भावी सौदों और शेयर बाज़ार में खरीदे-बेचे जाने वाले विकल्प बाज़ारों में स्थानीय सहभागियों के लिए अन्तर्निहित एक्सपोजर उठाना जरूरी नहीं है। हालांकि, काउंटर पर खरीदी-बे[illegible] जाने वाली व्युत्पन्नियों के बाज़ारों में क्रय-विक्रय करने हेतु अन्तर्निहित की आवश्यकता अनिवार्य है।

संहिता के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में बैंकों का बीसीएसबीआई श्रेणी-निर्धारण

भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (BCSBI) ने भारतीय साख सूचना निर्धारण सेवा लिमिटेड (CRISIL) के परामर्श से ग्राहकों एवं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्धता से सम्बन्धित संहिताओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में एक श्रेणी-निर्धारण मॉडेल का विकास किया है। भारतीय बैंकिंग

संहिता और मानक बोर्ड (BCSBI) के अनुसार इन संहिताओं के कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुपालन के स्तर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समग्र अंक सभी बैंकों के 74.2 के समक्ष 69.6 था। समग्र गणना पांच

मापदंडों - सूचना का प्रसरण, पारदर्शिता, ग्राहक संकेन्द्रण परिवाद निवारण तथा ग्राहक प्रति-सूचना पर आधारित थी। भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (BCSBI) इन संहिताओं के कार्यान्वयन पर निगरानी सदस्य बैंकों से अनुपालन का वार्षिक विवरभ प्राप्त करके तथा बुनियादी स्तर पर कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाने हेतु शाखा--दौरे के द्वारा रखता है।

मझोले आकार वाले बैंकों को चलनिधि व्याप्ति अनुपात प्राप्त करने हेतु नकदी बढ़ानी होगी

अब मझोले आकार वाले बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित चलनिधि व्याप्ति अनुपात (LCR) सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने हेतु अधिक खुदरा जमाराशियां संग्रहीत करने और नकदी बढ़ाने हेतु आपाधापी करनी होगी। चलनिधि व्याप्ति अनुपात का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करते हुए कि 30 दिनों तक कायम रहने वाले एक महत्वपूर्ण दबाव वाले परिदृश्य में बचे रहने के लिए उनके पास पर्याप्त उ□□ गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध (liquid) आस्तियां मौजूद रहें बैंकों की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल के अल्पावधिक लचीलेपन को बढ़ावा देना है। स्पष्ट रूप से इसका कार्यान्वयन एक चुनौती सिद्ध होगा। सभी बैंकों को उनके चलनिधि आधार को आस्ति और देयता दोनों ही पक्षों में ढांचागत रूप से बढ़ाना होगा। अल्पावधिक रूप से बैंक परिपक्वता तक धारित (HTM) संविभाग में अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) को अधिकतम करेंगे, क्योंकि यह उच्चतम ब्याज दरों के समक्ष मूल्य संरक्षण होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक अनुमोदनों की सामयिकता निध्रारित की

बैंक का गठन करने की इच्छुक निजी कम्पनियां / संस्थाएं भारतीय रिज़र्व बैंक से 90 दिनों में उनके आवेदनों की स्थिति जानने की आशा कर सकती हैं। यह अवधि एक स्वतंत्र बाहरी परामर्शी निकाय की रिपोर्ट प्राप्त होने के दिन से आरंभ होगी । प्रत्युत्तर के समय में सुधार लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी बैंक लाइसेंसों की मंजूरी सहित विविध विनियामक अनुमोदनों के कार्यक्रम मिर्धारित कर रखे हैं। उसने लेनदेनों को निपटाने जैसी सेवाओं के लिए एक सिटिजन चार्टर भी जारी किया है। ये उपाय वित्तीय क्षेत्र के विधायी सुधार आयोग (FSLRC) की गैर-विधायी सिफारिशों के अंग हैं। इन सिफारिशों के अनुसार कारबार के लिए लाइसेंसों और उ्त्पादों एवं सेवाओं की शुरुआत सहित सभी अनुमतियों के लिए यथा-प्रयोज्य कानूनों की शर्त पर सभी विनियामकों को समय-निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया को अपनाना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी निवेशकों को प्रत्यावर्तन के आधार पर निवेश की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के एक समूह को किसी भारतीय कम्पनी द्वारा जारी तथा भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय / प्रतिदेय अधिमानी शेयरों या डिबेंचरों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की है। यह निवेश कारपोरेट ऋण के लिए निर्धारित 51 बिलियन अमरीकी

डालर की समग्र सीमा के भीतर प्रत्यावर्तन आधार पर होगा। ऐसे निवेशकों, जो अपरिवर्तनीय / प्रतिदेय अधिमानी शेयरों या डिबेंचरों में निवेश कर सकते हैं, में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs), पंजीकृत

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक माने गए अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास पंजीकृत दीर्घकालीन निवेशकों - सॉवरेन संपदा निधियों, बहुपक्षीय एजेन्सियों, पेंशन / बीमा /बंदोबस्ती निधियों और विदेशी केन्द्रीय बैंकों का समावेश होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात ऋण पुनर्वित्त की सीमा घटाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ECR) सुविधा के तहत निधियों की उपलब्धता को तात्कालिक प्रभाव से निर्यात ऋण बकाये के 50% से घटा कर 32% कर दिया है। इस कार्रवाई से निर्यातकों को ऋण प्रवाह प्रभावित हो सकता है। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में इस योजना के अधीन चलनिधि में कटौती की निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 0.25% वाली एक विशेष मीयादी पुनर्खरीद (उधार) सुविधा के माध्यम से "पूर्णत: क्षतिपूर्ति" करने का प्रस्ताव किया है। कुछेक निर्यातकों को इस बात की आशंका है कि निर्यात ऋण पुनर्वित्त तक इस सीमित पहुंच से ऋण की लागत बढ़ सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह मत व्यक्त किया है कि निर्यात ऋण पुनर्वित्त के तहत निधियों में कटौती तथा विशेष मीयादी पुनर्खरीद सुविधा की शुरुआत से निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा से जुड़ी दस्तावेज़ी साक्ष्य, प्राधिकरण तथा सत्यापन से सम्बन्धित कार्यविधिक औपचारिकताओं में कमी ला कर प्रणाली के लिए चलनिधि तक पहुंच को बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक बीमे से सम्बन्धित सरारी एफडीआई नीति अधिसूचित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बीमा क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 26% पर सीमित करते हुए विदेशी संस्थाओं तथा अनिवासी भारतीयों जैसे पोर्टफोलियो निवेशकों से उक्त नियम के अधीन निवेश पर भी विचार किए जाने से सम्बन्धित निर्णय को औपचारकता प्रदान करते हुए बीमें के सम्बन्ध में सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति को अधिसूचित कर दिया है। फरवरी, 2014 में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने उस सरकारी नीति की घोषणा की थी, जिसमे यह भी कहा गया था कि बीमें में विदेशी निवेश की 26% की सीमा दलालों, अन्य पक्ष के प्रशासकों और सर्वेक्षणकर्ताओं जैसे मध्यवर्तियों पर भी लागू होगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

बैंकों के अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपो□र को राहत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को जून 2014 में समाप्त होने वाली तिमाही में उनके ग्राहकों के अप्रतिरक्षित (un-hedged) विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण से राहत प्रदान कर दी है। हालांकि, अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के लिए पूंजी आवश्यकताओं हेतु इस प्रकार का कोई

अपमार्ग (leeway) नहीं उपलब्ध होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड अप्रतिरक्षित एक्सपोजरों का निर्धारण रुपया-डालर विनिमय दरों में अस्थिरता के अनुसार करते हैं। अंतर-बैंक एक्सपोजरों को अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों से सम्बन्धित दिशानिर्देशों की परिधि से अलग रखा गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक चाहता है कि इस प्रकार के एक्सपोजरों के लिए वृद्धिशील प्रावधानीकरण मानक आस्ति प्रावधानीकरण का पता लगाने हेतु प्रयुक्त एक्सपोजरों की रकम पर आधारित हो। इसके अतिरिक्त इन एक्सपोजरों के लिए वृद्धिशील पूंजी आवश्यकताएं एक्सपोजरों हेतु पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने केलिए प्रयुक्त एक्सपोजर की रकम पर आधारित होनी चाहिए।

अनर्जक आस्तियों के माानदंड दबाग्रस्त, भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही नवीयन कर सकता है

भारतीय रिज़र्व बैंक किसी उधारकर्ता द्वारा भुगतान में 30 दिनों से अधिक का विलम्ब किए जाते ही बैंकों के लिए संयुक्त ऋणदाता मंच (JLF) का गठन करना अनिवार्य करते हुए शीघ्र ही विशेष उल्लेख वाले खातों (SMA) से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को परिवर्तित कर सकता है। ब्याज के भुगतान में 90 दिनों से अधिक की देरी किए जाते ही खाता अनर्जक आस्ति बन जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक चाहता है कि ऋणदाता अनर्जक आस्तियों को रोकने के लिए कठिनाई का समय-पूर्व पता लगा लें। दबावग्रस्त आस्तियों का प्रबन्धन करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के एक अंग के रूप में बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे संयुक्त ऋणदाता मंच की पहली बैठक के 30 दिनों के भीतर ही एक सीमा निर्धारित कर लें तथा इस सम्बन्ध में निर्णय लें कि वे खाते को पुनर्व्यवस्थित करना चाहते हैं या या उनके ऋणों को वसूल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। पुनर्व्यवस्था से पहले कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था (CDR) कक्ष को एक तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट (TER) दी जानी चाहिए।

गैर-मेज़बान एटीएमों पर अधिक सेवाएं

वर्तमान में गैर-मेज़बान बैंक एटीएमों से धनराशि निकाली जा सकती है, खाते में शेषराशि की जांच की जा सकती है तथा लघु विवरण प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु किसी अन्य लेनदेन की अनुमति नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने कुछेक निजी बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिल कर इस बात की जांच करने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है कि क्या गैर-मेज़बान बैंक एटीएमों पर नकदी जमा करने, चेक बुक के लिए आदेश देने आदि जैसी अन्य सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं।

खाद्येतर ऋण वृद्धि अब भी मंद

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार खाद्येतर ऋण वृद्धि अब भी धीमी बनी हुई है, जो वर्षानुवर्ष 13.17% बढ़ कर 30 मई, 2014 को समाप्त पखवाड़े के लिए 59,52,515 करोड़ रुपये रही। बैंकर ऋण बहियों को पुनर्संतुलित कर रहे हैं, क्योंकि वे कारपोरेट ऋण से दूर रहना □हते हैं। इस बी□

जमाराशियों के ऋण से आगे निकलने का क्रम जारी रहा, जो वर्षानुवर्ष 14.09% बढ़ कर 79,28,851 करोड़ रुपये हो गईं। मांग जमाराशियां एक वर्ष पहले के स्तर से 15.66% बढ़ कर 7,57,624 करोड़ रुपये हो गईं, जबकि सावधि जमाराशियां 71,71,238 करोड़ रुपये रहीं, जो पिछले वर्ष के स्तर से 14.4% अधिक थीं।

वित्तीय आसूचना एकक को बैंकों से अधिक संदेहास्पद लेनदेनों का पता लगाने की अपेक्षा

बैंकों द्वारा शीघ्र ही लॉकर सुविधा के बारंबार परिचालन तथा ऋणों की नकद चुकौतियों की सूचना वित्तीय आसूचना एकक को दी जाएगी। यह संदेहास्पद लेनदेनों पर निगरानी रखने के लिए है। इसके अलावा, भारतीय बैंक संघ (IBA) ने वित्तीय आसूचना एकक-भारत (FIU-IND) के परामर्श से संदेहास्पद लेनदेनों की एक ऐसी सूची तैयार की है जिस पर बैंकों के लिए निगरानी रखना तथा उक्त एजेन्सी को चेतावनी देना जरूरी है। उदाहरण के लिए बैंक □तावनियों का सृजन तब करेंगे जब लेनदेन का मूल्य ग्राहक की प्रोफाइल के अनुकूल न हो; जब (जमा-नामे) लेनदेनों में अचानक उछाल आ जाए और जब लाभ के लिए नहीं संगठनों के खातों में उच्च मूल्य वाले नकदी लेनदेन किए जाएं। धन शोधन निवारण नियमों के अनुसार बैंकों के लिए नकदी और संदेहास्पद लेनदेनों तथा लाभ के लिए नहीं संगठनों द्वारा विदेशी मुद्रा में 10 लाख रुपये या उसके समकक्ष से अधिक मूल्य वाली प्राप्तियों से सम्बन्धित सूचना की रिपोर्ट वित्तीय आसूचना एकक को देना आवश्यक है।

बैंकों द्वारा चूककर्ताओं के लिए कठोर मानदंडों की मांग

वित्त मंत्रालय के आदेश पर बैंकों ने चूककर्ताओं के विरुद्ध कई प्रकार के कठोर उपाय लागू किए हैं। बैंकरों ने कहा है कि उनके द्वारा यथा-अभिज्ञात शीर्ष 50 चूककर्ता किसी अन्य बैंक में चालू खाता नहीं खोल सकते। इसके अलावा, यदि कोई खाता किसी बैंक के लिए अनर्जक था, तो सहायता संघ के सभी सदस्यों को उसे अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। पिछले दो वर्षों में अनर्जक आस्तियों में तीव्र वृद्धि के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार ने इस मुद्दे का निराकरण करने हेतु कतिपय उपाय किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रणाली में मौजूद दबाव की समय-पूर्व स्तर पर पहचान करने हेतु वैसा करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन सहित नये मानदंड जारी किए हैं।

भुगतान बैंक अन्य वित्तीय परिचालन की शुरुआत नहीं कर सकते

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंकों - छोटे व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करने हेतु विशिष्टीकृत बैंकों के सम्बन्ध में नचिकेत मोर समिति की सिफारिशें इन संस्थाओं की प्रस्तावित विशिष्टताओं में कुछ

उल्लेखनीय परिवर्तन करने के बाद स्वीकार कर ली हैं। प्रारंभ में भारतीय रिज़र्व बैंक प्रारंभिक पूंजी आवश्यकता मोर पैनल द्वारा सुझाई गई 50 करोड़ रुपये की बजाय 100 करोड़ रुपये नियत करेगा। पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) की गणना करने के लिए भुगतान बैंक केवल परिचालन जोखिम में ही फैक्टर करेंगे, बाज़ार जोखिम और ऋण जोखिम में नहीं। यह पूर्ण सेवा वाले बैंकों के विपरीत है।

हालांकि, जहां मौजूदा बैंकों को भुगतान बैंकों के लिए सहायक कम्पनियां सृजित करने की अनुमति दी जा सकती है, ऐसे बैंकों को जमाराशियां स्वीकार करने और भुगतान सेवाएं प्रदान करने के अलावा कोई अन्य कार्यकलाप आरंभ करने की अनुमति नहीं होगी। भुगतान बैंकों को उधार देने वाला कार्यकलाप आरंभ करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। भुगतान बैंक महानगरों या टियर-I शहरों में उन आप्रवासी कामगारों की जरूरतें पूरी करेंगे, जिन्हें धनराशि घर वापस भेजने की जरूरत होती है। वे उपयोगिता बिल भुगतान जैसी सेवाएं भी प्रदान करेंगे।

गैर-मेज़बान शाखा के एटीएमों से मुफ्त लेनदेन घटा कर दो किए जा सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकरों की मांग स्वीकार कर लिए जाने पर गैर-मेज़बान शाखा की स्वचालित टेलर मशीनों (ATMs) से मुफ्त लेनदेनों की संख्या पांच से घटा कर दो कर दी जाएगी। गैर-मेज़बान शाखा के एटीएम से अभिप्राय है उन बैंकों के एटीएम जिनमें ग्राहक का कोई खाता नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के साथ मिलकर बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से इन एटीएमों पर मुफ्त लेनदेनों की संख्या घटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि विनिमय (Interchange) शुल्क- वह रकम जो एक बैंक उसके उपभोक्ता के उसके गैर-मेज़बान बैंक के एटीएम का उपयोग करने पर अन्य बैंक से प्रभारित करता है - मौजूदा 15 रुपये प्रति वित्तीय लेनदेन से संशोधित करके 16.50 रुपये और सेवा कर कर दी जाए।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के बेहतर विनियमन को आकार दे रहा है

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी ने बताया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) के लिए विनियामक ढांचे में सुधार कर रहा है, क्योंकि मौजूदा कानून कतिपय मुद्दों से निपटने हेतु अनुपयुक्त हैं। सांविधिक प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन जरूरी है। इसके अलावा, चूंकि कानून का लागू किया जाना भी चुनौतीपूर्ण है, भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी राज्य स्तरीय समितियों को सुदृढ़ बनाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वय समिति पर भी विचार किया जा रहा है। श्री आर. गांधी के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक नचिकेत मोर समिति की रिपोर्ट सहित हाल की घटनाओं के संदर्भ में विनियामक ढांचे का पुनरीक्षण कर रहा है। "हम विनियमन को कठोर बनाने के लिए कुछेक विनियामक संशोधन करने हेतु सरकार के साथ मिल कर कार्य कर रहे हैं। हम विशेष रूप से इस बात को बेहतर ढंग से स्पष्ट करने हेतु विनियमन की परिभाषा को कठोर बनाना चाहते हैं कि जमा क्या है

और इसे कौन स्वीकार कर सकता है और कौन नहीं। यही उस स्पष्टता का स्तर है जो हम लाना चाहते हैं।"

बैंक वित्त वर्ष 15 से सेक्टर-वार अग्रिम दर्शाएंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को वित्त वर्ष 2014-15 से आगे उनके वित्तीय विवरणों में लेखा -टिप्पणियों में सेक्टर-वार अग्रिम दर्शाने का निदेश दिया है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से पहले ही सेक्टर-वार अनर्जक आस्तियां, अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव, विदेशी आस्तियों एवं राजस्व तथा बैंकों द्वारा प्रायोजित अन्य विशेष प्रयोजन संस्थाओं (SPVs) को प्रदर्शित करने हेतु कहा है। 1 अप्रैल, 2014 को द्विमासिक नीतिगत घोषणा के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने यह प्रस्तावित किया था कि बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सहित विविध क्षेत्रों में अपने एक्सपोजरों का सक्रियता से प्रबन्धन करने हेतु नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के अनुसार जून, 2014 के अंत तक वित्तीय विवरणों में कुछेक अतिरिक्त प्रकटन आवश्यकताएं निर्धारित करें।

दबावग्रस्त आस्तियां 10% से अधिक

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी के अनुसार "सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात तीव्र गति से घट कर मार्च, 2001 के अंत में 12.0% से मार्च, 2006 के अंत में 3.5% हो गया और उसके बाद यह अनुपात मार्च, 2011 तक सपाट रहा। हालांकि, तब से बैंकों की अनर्जक आस्ति बढ़ती रही है, क्योंकि दिसम्बर, 2013 के अंत में घरेलू बैंकिंग प्रणाली की सकल अनर्जक आस्तियां सकल अग्रिमों की 4.40% थीं ---- दिसम्बर, 2013 में बैंकिंग प्रणाली में कुल दबावग्रस्त आस्तियां (जिनमें अनर्जक आस्तियां और पुनर्व्यवस्थित मानक आस्तियां शामिल हैं) बैंकों के सकल अग्रिमों की 10.13% थीं, जो रिज़र्व बैंक के लिए चिंता का करण हैं।"

प्रतिभा को टिकाए रखने और उसका प्रबन्धन करने पर ध्यान केन्द्रित करें

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान के अनुसार " भारतीय बैंकों में आज की कई एक बुराइयां यथा- कमजोर मूल्यांकन मानक, समस्यामूलक खातों में समय-पूर्व चेतावनी को समझने में असमर्थता जिनके परिणामस्वरूप कपटपूर्ण लेनदेन होते हैं या खाते अनर्जक आस्ति बन जाते हैं, बढ़ती ग्राहक परिवाद आदि को बैंकों की जनशक्ति में कौशल की कमी की संज्ञा दी जा सकती है। आगामी कुछेक वर्षों में वरिष्ठ प्रबन्धन में लगभग निर्वात (vaccum), सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबन्धन, ऋण मूल्यांकन तथा खज़ाना परिचालन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता का अभाव, मध्यम एवं वरिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी वाले पदों के लिए उत्तराधिकार आयोजना का अभाव, नयी प्रतिभा को आकर्षित करना, टिकाए रखना और पोषित करना, सक्षमता निर्माण के प्रति तदर्थ अनुक्रियाएं और घटिया कार्य-निष्पादन प्रबन्धन प्रणाली सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समक्ष उपस्थित मानव संसाधन से सम्बन्धित कुछेक महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं।"

अर्थव्यवस्था

विश्व बैंक को वित्त वर्ष 15 में भारत की वृद्धि दर 5.5% रहने की आशा

विश्व बैंक ने 2014-15 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अप्रैल में अनुमानित पूर्वानुमान को 5.7% से घटा कर 5.5% कर दिया है। वह अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली सामान्य से कम बरसात के साथ ही अपेक्षित से धीमी वैश्विक वृद्धि की प्रत्याशा करता है। "2015-16 के लिए 6.3% और 2016-17 के लिए 6.6% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के पूर्वानुमान के परिणामस्वरूप भारत में पुनरुत्थान की प्रक्रिया धीमी बनी रहेगी। हम राजकोषीय समेकन जारी रखे जाने की वकालत करेंगे।" संयुक्त राज्य अमेरिका में मौसम की खराब स्थितियों , वित्तीय विक्षोभ तथा उक्रेन में विग्रह के बाद "ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट" शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि को जनवरी में अनुमानित 3.2% से घटा कर 2.8% कर दिया।

बीमा

मोटर, स्वास्थ्य बीमा वृद्धि के प्रमुख प्रेरक तत्व

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार मोटर एवं स्वास्थ्य बीमा ने 2013-14 में सामान्य बीमाकर्ताओं द्वारा वसूल किए गए सकल प्रीमियम में वृद्धि को प्रेरित किया है। इसमें 12.2% की वृद्धि हुई, जिससे वह एक वर्ष पहले वाली अवधि की तुलना में 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष में 77,541 करोड़ रुपये हो गया। इसमें से सर्वोच्च अंश 33,887 करोड़ रुपये के रूप में मोटर बीमा से आया- जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 14.3% की वृद्धि दर्शाता है। इसके बाद 17,624 करोड़ रुपये के प्रीमियम के रूप में 13.5% से अधिक वृद्धि के साथ स्वास्थ्य बीमा खण्ड का स्थान रहा। अनिवार्य अन्य पक्ष के मोटर प्रीमियम में उल्लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई जो 26% की वृद्धि के साथ 15,683 करोड़ रुपये रहा।

ग्रामीण बैंकिंग

कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु नाबार्ड ने पुनर्वित्त की दर घटाई

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए बैंकों को अपनी दीर्घावधि पुनर्वित्त सुविधा पर ब्याज दर में 0.2% की कमी कर दी है। अब ब्या□ दरे पांच वर्ष और उससे अधिक के लिए 9.5% और तीन से पांच वर्ष की अवधि के लिए 9.7% होंगी। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. हर्ष कुमार भानवाला ने कहा कि किसी एकल आहरण में 500 करोड़ रुपये से अधिक लेने वाले बैंकों को 10 आधार अंक द्वारा और प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यत: छोटे और

सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने वाली क्षेत्र विकास योजनाओं के तहत एकल उद्देश्य को सहायता पहुंचाने हेतु 50 आधार अंक की छूट प्रदान की जाएगी।

वित्तीय समावेशन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को कारबार संपर्की नियुक्त करने की अनुमति दी

वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों -गैर- जमा स्वीकारकर्ता (NBFC-ND) को बैंकों के कारबार संपर्कियों (BCs) के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करने की अनुमति दे दी है। बैंकों के लिए अब यह भी अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक केन्द्र और कारबार संपर्की के उप एजेन्ट को किसी विशिष्ट शाखा से सम्बद्ध किया जाए। इसके पूर्व कारबार संपर्कियों के पर्याप्त पर्यवेक्षण में समर्थ बनने हेतु बैंकों को कारबार संपर्की केन्द्र को कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 किलोमीटर के भीतर तथा महानगरीय क्षेत्रों में 5 किलोमीटर के भीतर वाली शाखा को सौंपना होता था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने के लिए इस विनिर्देशन को समाप्त कर दिया है, क्योंकि प्रौद्योगिकीय उन्नतियों ने पर्यवेक्षण को आसान बना दिया है। कारबार संपर्की नियुक्त करने से सम्बन्धित मानदंडों का पुनरीक्षण नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में हुआ है। उक्त समिति ने पिरामिड के निचले भाग वाले लोगों को ऋण प्रवाह में तेजी लाने और कारबार संपर्कियों के कार्यक्षेत्रों को व्यापक बनाने का सुझाव दिया था। पर्याप्त पर्यवेक्षण तथा ग्राहको को सेवाओं के उद्देश्यों को साकार बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक कारबार संपर्कियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति का पक्षधार है। इसके अलावा, बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बैंक की निधियां कारबार संपर्की-गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की निधियों से परस्पर मिश्रित न हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी संभाव्य हितों के टकरावों का उपयुक्त रीति से निराकरण हो बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (कारबार संपर्कियों के रूप में कार्यरत) के बीच विशिष्ट संविदात्मक व्यवस्था होनी चाहिए।

विदेशी मुद्रा

जुलाई, 2014 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.54510	0.577	1.005	1.385	1.684

जीबीपी	1.04200	1.3428.	1.7070	1.9802	2.1777
यूरो	0.44029	0.330	0.397	0.514	0.67
जापानी येन	0.32714	0.181	0.194	0.224	0.276
कनाडाई डालर	1.50000	1.452	1.636	1.813	1.985
आस्ट्रेलियाई डालर	2.66100	2.783	2.928	3.148	3.310
स्विस फ्रैंक	0.18940	0.100	0.135	0.215	0.329
डैनिश क्रोन	0.56550	0.5972	0.6880	0.8130	0.9690
न्यूजीलैंड डालर	3.94000	4.230	4.390	4.510	4.610
स्वीडिश क्रोन	0.73500	0.780	0.963	1.160	1.335
सिंगापुर डालर	0.32800	0.620	0.944	1.284	1.587
हांगकांग डालर	0.46000	0.700	1.008	1.363	1.658
एमवाईआर	3.67000	3.750	3.850	3.950	4.050

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**20 जून, 2014 के दिन**	**20 जून, 2014 के दिन**
	बिलियन रुपये	**मिलियन अमरीकी डालर**
	1	**2**
कुल प्रारक्षित निधियां	18, 957.1	314,922.1
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	17, 357.9	2 87, 961.7
ख) सोना	1, 227.3	20,790. 4
ग) विशेष आहरण अधिकार	268.6	4, 455.8
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	103.3	1,714.2

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
भारतीय रिज़र्व बैंक	दक्षिण कोरिया में वित्तीय विनियामक	पर्यवेक्षी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए वित्तीय पर्यवेक्षी आयोग FSC) और वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (FSS) के

	.	साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया।
आईडीबीआई बैंक	भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (FICCI) सीएमएसएमई	देशभर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए स्पर्धात्मक ब्याज दरों पर संगठित वित्तीयन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु समझौता ज्ञापन।

13

बासेल III - पूंजी विनियमन (क्रमश:)

विशिष्ट बाज़ार जोखिम पर चर्चा जारी रखते हुए हम निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करते हैं:

क) विशिष्ट बाज़ार जोखिम

विशिष्ट जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार खरीद से अधिक बिक्री (भारत में व्युत्पन्नियों को छोड़कर खरीद से अधिक बिक्री की अनुमति नहीं है) और बिक्री से अधिक खरीद वाले विशिष्ट जारीकर्ता से सम्बन्धित कारकों के कारण विशिष्ट प्रतिभूति के मूल्य में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के समक्ष संरक्षित करने हेतु तैयार किया गया है। विविध प्रकार के एक्सपोजरों के लिए विशिष्ट जोखिम प्रभार और वैकल्पिक कुल प्रभार भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र में सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

ख) सामान्य बाज़ार जोखिम

यह पोर्टफोलियो में ब्याज दर जोखिम से सम्बन्धित होता है, जिसमें विभिन्न प्रतिभूतियों अथवा लिखतों में अधिक्रय और अधिविक्रय की स्थिति (जिसकी व्युत्पन्नियों और केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को छोड़कर भारत में अनुमति नहीं है) को समायोजित किया जा सकता है। सामान्य बाज़ार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं बाज़ार की ब्याज दरों में परिवर्तनों से पैदा होने वाली हानि के □ोखिम का पता लगाने हेतु तैयार की गई हैं।

सामान्य बाज़ार जोखिम निम्नलिखित चार संघटकों का योग होता है :

क) निवल अधिविक्रय (व्युत्पन्नियों को छोड़कर भारत में खरीद से अधिक बिक्री की अनुमति नहीं है) या सम्पूर्ण व्यापार बही में बिक्री से अधिक खरीद;

ख) प्रत्येक समय-सीमा में समान क्रय-विक्रय (सुमेल वाली स्थितियों) की एक छोटी सी मात्रा ("विषमस्तरीय अस्वीकृति");

ग) समस्त भिन्न-भिन्न समय सीमाओं में समान क्रय-विक्रय (सुमेल वाली स्थितियों) की अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा ("समस्तरीय अस्वीकृति");

घ) जहां उपयुक्त हो, विकल्पों में क्रय-विक्रय हेतु निवल प्रभार;

बासेल समिति ने बाज़ार जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार के परिकलन के लिए दो व्यापक कार्यप्रणालियों का सुझाव दिया है, यथा- मानकीकृत पद्धति और आंतरिक जोखिम प्रबन्धन मॉडलों वाली पद्धति, जिनमें से बैंकों को मानकीकृत पद्धति अपनाने की सलाह दी गई है, क्योंकि बैंकों ने अभी तक स्वयं अपनी जोखिम प्रबन्धन प्रणाली नहीं विकसित की है।

मानकीकृत पद्धति में बाज़ार जोखिम को मापने की दो प्रमुख पद्धतिया हैं, यथा - "परिपक्वता" पद्धति और "अवधि" पद्धति।,मानकीकृत "अवधि" पद्धति को अपनाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि वह पूंजीगत प्रभार का निर्धारण करने हेतु अधिक यथार्थपरक पद्धति है। तदनुसार, बैंकों के लिए यह

आवश्यक है कि वे प्रत्येक क्रय-विक्रय की मूल्य संवेदनशीलता (आशोधित अवधि) की अलग-अलग गणना करके सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभार को मापें। इस पद्धति के तहत मेकैनिक होते हैं -समय सीमा और प्रतिफल में कल्पित परिवर्तन भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्र में वर्णित किए गए हैं।
इक्विटी जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार का मापन

इक्विटियों के लिए पूंजीगत प्रभार बैंक की व्यापार बही में उनके वर्तमान बाज़ार मूल्य पर लागू होगा। व्यापर बही में रखने या क्रय-विक्रय करने के जोखिम को सुरक्षित करने हेतु न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का ब्यौरा उक्त परिपत्र में दिया गया है। रक्षित किए जाने वाले लिखतों में इक्विटी शेयरों, चाहे वे मताधिकार वाले हों या गैर-मताधिकार वाले, उन परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का समावेश होगा, जो इक्विटियों की भांति ही व्यवहार करती हैं, उदाहरण के लिए पारस्परिक निधियों की यूनिटें तथा इक्विटी खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता।
विशिष्ट जोखिम (ऋण जोखिम की भांति) हेतु पूंजीगत प्रभार 11.25% या प्रतिपक्ष की बाहरी रेटिंग द्वारा आवश्यक बताए गए जोखिम, इनमे से जो भी अधिक हो, के अनुसार पूंजीगत प्रभार होगा तथा विशिष्ट जोखिम की गणना बैंक के सकल इक्विटी क्रय-विक्रय (अर्थात् समस्त अधिक्रय और अधिविक्रय का योग के आधार पर की जाएगी - हालांकि, भारत में बैंकों के लिए इक्विटी के अधिविक्रय की अनुमति नहीं है)। इसके अलावा, सकल इक्विटी क्रय-विक्रय पर 9% का सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभार भी लागू होगा। पूंजीगत प्रभार उन सभी व्यापार बही एक्सपोजरों भी लागू होंगे जिन्हें प्रत्यक्ष निवेशों के मामले में पूंजी बाज़ार एक्सपोजर की उच्चतम सीमा से छूट प्राप्त है।
प्रतिभूति रसीदों में बैंकों के निवेश हेतु विशिष्ट जोखिम पूंजीगत प्रभार 13.5% (15% के जोखिम-भार के समकक्ष) होगा। चूंकि प्रतिभूति रसीदें व्यापक तौर पर निरुद्ध (illiquid) होती हैं और उन्हें गौण बाज़ार में नहीं खरीदा-बेचा जाता, उन पर किसी प्रकार का सामान्य बाज़ार जोखिम पूंजीगत प्रभार नहीं लागू होगा।
(स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

तुलनपत्र- बाह्य एक्सपोजर

तुलनपत्र- बाह्य एक्सपोजर से अभिप्राय है बैंक की ऐसी कारोबारी गतिविधियां जो समान्यतया अस्तियां (ऋण) बुक करने और जमाराशियां स्वीकार करने से सम्बन्धित नहीं होतीं। तुलनपत्र-बाह्य गतिविधियां समान्यत: शुल्क का सृजन करती हैं, किन्तु वे देयताएं या ऐसी आस्तियां निर्मित करती हैं जो अस्थगित या आकस्मिक होती हैं और इंसप्रकार वे जब तक कि वास्तविक आस्तियां या देयताएं नहीं बन जातीं, बैंक के तुलनपत्र में नहीं दर्शाई जातीं।

शब्दावली

चलनिधि व्याप्ति अनुपात (LCR)

चलनिधि अनुपात का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बैंक ऐसी ऋण-भार रहित, उच्च गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध (liquid) आस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट महत्वपूर्ण रूप से गंभीर

चलनिधि के दबाव वाले परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिवस के समय संस्तर हेतु चलनिधि जरूरतों को पूरा करने हेतु नकदी में रूपांतरित किया जा सके। न्यूनतम स्तर पर अनिरुद्ध आस्तियों के स्टॉक को बैंक को दबाव वाले परिदृश्य के 30वे दिन तक के उस समय तक बचे रहने में समर्थ बनाए , जब यह माना जा सके कि उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जुलाई, 2014 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	7 से 11 जुलाई, 2014 तक
2	भारतीय महिला बैंक के लिए ऋण चसूली अधिकारियों का प्रशिक्षण	14 से 16 जुलाई, 2014 तक
3	ऋण मूल्यांकन ेर 10वां कार्यक्रम	21 से 25 जुलाई, 2014 तक
4	आवास वित्त पर 6ठा कार्यक्रम	30 जुलाई से 1 अगस्त, 2014 तक
5	अपने ग्राहक को जानिए / धन शोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तीयन का मुकाबला पर 5वां कार्यक्रम	30 जुलाई से 1 अगस्त तक

जून, 2014 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तीयन पर 7वां कार्यक्रम	9 से 13 जून, 2014 तक
2	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	26 से 27 जून, 2014 तक 30 जून से 1 जुलाई, 2014 तक

संस्थान समाचार

बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ का सम्मेलन 2014

संस्थान 25 अ)र 26 सितम्बर, 2014 को बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ (APABI) के अंतरेाष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यकारिणी बैठक की मेजबानी करेगा। बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत

सम्मेलन 2014 की मुख्य विषय-वस्तु है "बैंकों में प्रतिभा प्रबन्धन"। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम

संस्थान ने 3रे उन्नत प्रबन्धन कार्यक्रम के लीडरशिप सेन्टर, कुर्ला, मुंबई में में आयोजन की घोषणा की है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

वीडियो व्याख्यान एवं ई-शिक्षण

संस्थान ने (i) जेएआईआईबी के लिए वीडियो व्याख्यान तथा सीएआईआईबी के 2 अनिवार्य विषयों के लिए और (ii) सीएआईआईबी के चयनात्मक विषयों के लिए ई-शिक्षण प्रदान करना आरंभ कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।)

दिशानिर्देशों की अंतिम तिथि

अभ्यर्थियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून महीनों के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में समावेश के उद्देश्य से केवल विनियामक (कों) द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों तथा उस वर्ष के क्रमश: 31 जुलाई / 31 जनवरी तक बैंकिंग एवं वित्त से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

ई-मेल के जरिये आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास यथा-शीघ्र पंजीकृत करवा लें। आईआईबीएफ विजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15
* प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित- प्रेषण तिथि पत्येक माह की 25वीं से 30वीं तक - मुंबई पत्रिका चेलन कार्यालय, मुंबई में प्रेषिथ - डब्ल्यूवीपी लाइसेंस सं. एमआर/टेक/डब्ल्यूपीपी -62 एनई/2013-15 - पूर्व-भुगतान के बिना प्रेषण ा लाइसेंस

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

शुध्दि-पत्र

सामान्यत: गिरो से अभिप्राय है सामान्य अंतर-बैंक आवर्ती आदेश। हालांकि, एक समाचार मद के आधार पर आईआईबीएफ विज़न 2014 के अंक में इसे "सरकार के आंतरिक राजस्व आदेश" के रूप में वर्णित किया गया था। उक्त त्रुटि/भूल के लिए खेद है।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

106.00
101.00
96.00
91.00
86.00
81.00
76.00
71.00
66.00

61.00
56.00
02/06/14 04/06/14 06/06/14 11/06/14 12/06/14 16/06/14 171/06/14 19/06/14
24/06/14 25/06/14 27/06/14

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- माह के पहले पांच दिनों के दौरान रुपया डालर के समक्ष 59.33 के आसपास मंडराता रहा।
- स्थानीय इक्विटयों में उछाल और भारी पूंजीकरण की पृष्ठभूमि में 6ठी को रुपया एक पखवाड़े में अपनी सबसे बड़ी दैनिक वृद्धि दर्ज करते हुए अमरीकी डालर के समक्ष 59.17 पर बंद हुआ।
- शेयरों में प्रवृत्ति को तोड़ते हुए 9वीं को रुपया प्रारंभिक मज़बूती खो बैठा और चार सत्रों में अपनी पहली गिरावट दर्ज करते हुए आयातकों से अमरीकी मुद्रा की विलंबित मांग पर डालर के समक्ष 59.20 पर बंद हुआ।
- ईराक में विद्रोह के कारण और 2014 में मुद्रास्फीति के सर्वोच्च स्तर पर बढ़ जाने के कारण 16वीं को कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी की आशा में हड़बडाए तेल आयातकों द्वारा अमरीकी डालर खरीदने हेतु आपाधापी के बाद भारतीय रुपया 16वीं को एक माह के निम्न स्तर पर बंद हुआ। भारतीय रुपया 40 पैसे लुढ़क कर डालर के मुकाबले 60.17 पर बंद हुआ।
- रुपये ने दो सत्रों की गिरावट तोड़ दी और केन्द्रीय बैंक के सरकार द्वारा संचालित बैंकों के जरिये डालर बेचते देखे जाने के बाद 17वीं को दो माह के निम्न स्तर से मज़बूत हो कर 60.10 पर बंद हुआ।
- 18वीं को कुछ कमजोर पड़ते हुए रुपया डालर के मकाबले 60.40 पर बंद हुआ। कच्चे तेल के संकटों के कारण रुपया पुन: लुढ़का।
- माह के दौरान सभी स्तरों पर रुपया मूल्यह्रासित हुआ, यह मूल्यह्रास डालर के समक्ष क्रमश: 1.61%, स्टर्लिंग के समक्ष3.41%, यूरो के मुकाबले 1.55% और जापानी येन के मुकाबले 2.17% रहा।

भारित औसत मांग दरें

8.80
8.60
8.40
8.20
8.00
7.80
7.60
7.40
7.20

02/06/14 05/06/14 06/06/14 07/06/14 09/06/14 13/06/14 14/06/14 16/06/14
18/06/14 20/06/14 24/06/14 26/06/14 27/06/14

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, जून, 2014

- मांग दरें 7.76 के निम्न और 8.55 के उच्च स्तर पर घटती-बढ़ती रहीं।
- बैंकों द्वारा अनुपालन की आपाधापी से उद्भूत चलनिधि की कठोर स्थिति के कारण 17वीं को दरें 8.65% के शिखर पर पहुंच गईं।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

19

25800
25600
25400
25200
25000
24800
24600
24400
24200

02/06/14 05/06/14 09/06/14 13/06/14 17/06/14 19/06/14 20/6/14 23/06/14 24/05/14 26/06/14

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (**BSE**)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.